

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021—चैत्र 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. एफ ए 3-51-2019-1-पाँच (20).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पाँच (29), भोपाल, दिनांक 04 मई 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी, शब्द “एक सौ करोड़ रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास करोड़ रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. एफ ए 3-51-2019-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पाँच (20), दिनांक 03 अप्रैल 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd April 2021

No. F A 3-51-2019-1-V (20).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F A 3-51-2019-1-V (29), Bhopal, dated the 04th May 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 01st day of April, 2021, for the words “one hundred crore rupees”, the words “fifty crore rupees” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.